भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–169/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
27.02.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 15.04.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 15.04.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
15.04.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 10.05.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 10.05.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
10.05.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–बिक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
23.03.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–136, दिनांक–29.02.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 04.03.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिक्रेता एवं अन्तरित होने वाली भूमि चक्रधरपुर थाना के अन्तर्गत है जबकि क्रेता टोकलो थाना के निवासी हैं। अतः CNT की सुसंगत नियमों के तहत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	